सहकार संवाद

अंक: 02, वर्ष: 1, सितम्बर 2020

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

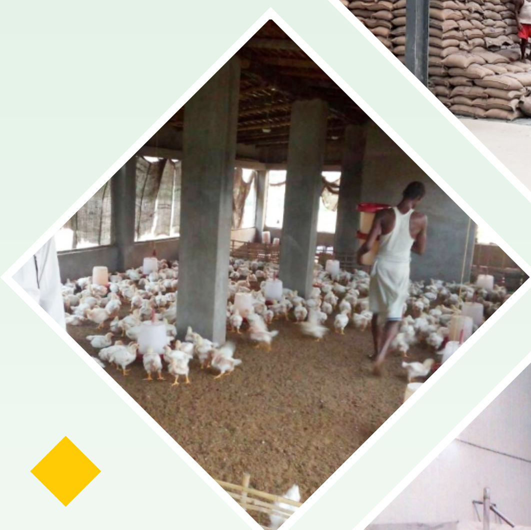

एक सब के लिए
सब एक के लिए

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

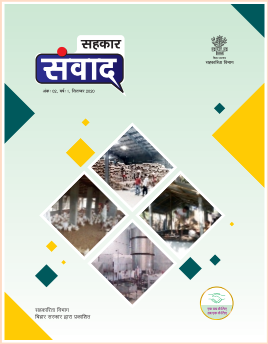

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

सहकार संवाद
अंकः 02, वर्षः 1, सितम्बर 2020

संरक्षकः
श्री राणा रणधीर
मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार

प्रधान सम्पादकः
बंदना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव, सहकारिता विभाग,
बिहार

सम्पादकः
श्री संजय कुमार
जनसम्पर्क पदाधिकारी
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

सम्पादक मण्डलः

1. श्री मो. मुजीबुर्ररहमान
2. श्री अजय कुमार अलंकार
3. श्री विकास कुमार बरियार
4. श्री भरत कुमार
5. श्री कामेश्वर ठाकुर
6. श्री सुभाष कुमार
7. श्रीमती लवली

विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
1	'मंथन' के संदर्भ में सहकारी समितियों पर एक बहस	01
2	रतनपुर पैक्सः सहकारिता में बढ़ते कदम	03
3	प्रस्तावित मधुमक्खीपालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन	07
4	दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंकः सकारात्मक परिर्वतन की विवेचना	12
5	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना ''नई पहल'' सहकारी से तरकारी वार्त्ता	15
6	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	17
7	झलकियाँ	19

प्रकाशकः
सहकारिता विभाग, बिहार
द्वितीय तल, विकास भवन, पटना–800 015

लेआउट डिजाईन एवं मुद्रणः **पूनम ईन्टरप्राईजेज,** पटना

बंदना प्रेयषी, भा.प्र.से.
सचिव
सहकारिता विभाग, बिहार

सचिव, सहकारिता की कलम से

सहकारिता विभाग एवं सहकारी अभियान के बीच सार्थक संवाद की प्रक्रिया को मूर्त रुप देने के लिए प्रारंभ किए गए 'सहकार संवाद' के पहले अंक पर उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। संवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें यह सूचित करना है कि पिछला एक माह विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गतिविधियों से भरा रहा है। मंत्रिपरिषद् के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को 'मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना' की स्वीकृति दी गई है। योजनान्तर्गत 2020–21 से 2024–25 तक राज्य के सभी योग्य पैक्सों को इस योजना से आच्छादित किया जायेगा। वर्ष 2020–21 में 439.05 करोड़ रुपये की राशि से 2,927 पैक्सों में 15.00 लाख रुपये प्रति पैक्स की दर से कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना है, ताकि लघु एवं सीमान्त किसानों की आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुंच संभव हो सके तथा पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ, 2020 मौसम हेतु किसानों के निबंधन की प्रक्रिया दिनांक 31.08.2020 को समाप्त हो गई है और हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस मौसम के लिए राज्य के 39 लाख से अधिक किसानों ने इस योजनान्तर्गत आवेदन किया है, जो खरीफ मौसम 2019 से करीब 14 लाख अधिक है। आवेदकों की संख्या में यह वृद्धि योजना की व्यापकता, स्वीकार्यता एवं उपादेयता का परिचायक है। साथ ही, रब्बी 2019–20 मौसम के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा इसे सितम्बर, 2020 के अन्त तक पूर्ण करा देने का लक्ष्य है।

सहकारिता विभाग, बिहार द्वारा राज्य में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सहकारी ढ़ाचे के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की समेकित योजना तैयार कर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् मधुमक्खीपालकों के आय तथा मधु उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार सृजन के नए अवसरों के साथ शहद के अन्य उपोत्पादों (Byproducts) को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में विभाग के द्वारा राज्य के 20 जिलों के कुल 197 प्रखंडों में प्राथमिक मधुमक्खीपालक सहकारी समितियाँ के गठन एवं निबंधन कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करा दी गई है।

पैक्सों के कार्यकलाप में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैक्सों का ससमय अंकेक्षण एवं पैक्सों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु सार्थक पहल की गई है। साथ ही, विभागीय स्तर पर सरकार प्रभाग के बाद निबंधक, सहयोग समितियाँ निदेशालय में भी कागज रहित ई–ऑफिस व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

अन्त में, मैं उम्मीद करती हूँ कि सहकारिता विभाग से जुड़े हर कर्मी अपने आपको सुरक्षित एवं स्वस्थ रखते हुए विभागीय दायित्त्वों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समर्पित रहेंगे।

संपादक के नाम पत्र

'सहकार संवाद' का पहला अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं सहकारिता विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विभागीय योजनाओं से आम जनता को अवगत कराने हेतु एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहल की है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर अत्यंत प्रासंगिक लगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में किसानों के हित में दूसरे विभागों के द्वारा भी चलाई जा रही योजनाओं को इसमें शामिल किया जायेगा। एक बार पुनः बधाई।

श्री मिथिलेश राय, सदस्य, बरईपट्टी पैक्स, गोपालगंज

सहकारिता विभाग इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि 'सहकार संवाद' के माध्यम से विभाग के महत्त्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। कई सहकारी समितियों के द्वारा सरजमीं पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। सुझाव है कि इन उपलब्धियों को भी 'सहकार संवाद' का हिस्सा बनाया जाए।

श्री सैयद मशरूक आलम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा

'सहकार संवाद' का पहला अंक ऑनलाईन प्राप्त हुआ, जो कि इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सुदूर गावों में भी लोगों के पास इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। सुझाव देना है कि इफको एवं कृभको के द्वारा बिहार में उपलब्ध कराये जा रहे उर्वरक के बारे में 'सहकार संवाद' के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मैं इसके सफलता की कामना करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र शर्मा, कांटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर

'सहकार संवाद' को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इसमें विभाग के अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना पर विस्तार से उपलब्ध कराई गई जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी। सब्जी उत्पादकों को वास्तव में इससे कैसे लाभ प्राप्त होगा, कृपया इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाय।

श्री शंभू भगत, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, फारबिसगंज, अररिया

संपादकीय

'मंथन' के संदर्भ में सहकारी समितियों पर एक बहस

भारत में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु परिकल्पित 'श्वेत क्रांति' के परिप्रेक्ष्य में श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित 'मंथन' देश के सहकारी आंदोलन का आइना है। इस फिल्म का निर्माण गुजरात के दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के पाँच लाख सदस्यों के वित्तीय सहयोग से हुआ था। वर्ष 1976 में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी तो इसके पोस्टर पर लिखा था – गुजरात के पाँच लाख किसानों के द्वारा प्रदर्शित। फिल्म में गिरीश कर्नाड का चरित्र अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन के व्यक्तित्व पर आधारित है। गुजरात प्रान्त के एक छोटे से गाँव से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की यात्रा एक ऐसी यात्रा रही है जो देश के परम्परा से आधुनिकता की ओर जाने का सफर है। जाहिर सी बात है इस सफर में पुरानी ग्रामीण व्यवस्था जो छोटे एवं सीमान्त किसानों के शोषण पर आधारित थी, के टूटने का आख्यान है एवं सहभागिता, परस्पर लाभ एवं प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को स्थापित होने में जो कठिनाइयाँ आती हैं–उनका वर्णन है।

जब डॉ॰ राव अपनी छोटी–सी टीम के साथ गुजरात के एक छोटे से गाँव में दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समिति के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें तमाम तरह के विरोध एवं प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। गाँव में पूर्व से कार्य कर रही मिश्रा डेयरी किसानों का दूध अत्यंत कम भुगतान पर प्राप्त करती है। ज्यादातर किसान ऋणग्रस्त हैं। गाँव जाति के आधार पर बटा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा आम बात है। स्थानीय पंचायत के चुनाव में गाँव की विभाजक राजनीति स्पष्ट रुप से दिखती है। डॉ॰ राव गाँव के गरीब किसानों को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है तथा सहकारी समितियों के माध्यम से कैसे उनकी माली हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन व्यावहारिक रुप में डॉ॰ राव के विचारों को स्वीकार्यता प्राप्त करने में समय लगता है। शायद यह स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से स्थापित सोचने का तौर–तरीका अचानक बदला नहीं जा सकता है। गाँव एवं शहर के बीच में हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दूरी रही है। यहाँ पर यह समझना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि गरीबी की संस्कृति में वर्त्तमान एवं भविष्य के बीच में हमेशा एक मोल भाव (Trade-off) होता है, जिसमें प्रायः वर्त्तमान की कठोर सच्चाइयाँ भविष्य के सपनों एवं परिवर्त्तन की संभावनाओं को खारिज कर देती हैं।

इन परिस्थितियों में परिवर्त्तन की प्रक्रिया को मूर्त्त रुप देने के लिए एक ऐसे भविष्यद्रष्टा की जरुरत होती है, जो धैर्य के साथ धीरे–धीरे लोगों को विश्वास में लेते हुए और प्रस्तावित पहल के लाभ से लोगों को अवगत कराते हुए परिवर्त्तन की नींव रख सके। मंथन में डॉ॰ राव और वास्तविक जिंदगी के स्वर्गीय वर्गीज कुरियन वह भविष्यद्रष्टा हैं, जो परिवर्त्तन के क्रमिक रुप से आने में विश्वास करते हैं। उन्हें मालूम है कि रक्तरंजित क्रांति के माध्यम से

रातों–रात कोई भी परिवर्त्तन नहीं आ सकती है। किसी भी प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्त्तन एक विद्रोही का काम होता है, जिसे सामाजिक प्रतिरोध एवं निहित स्वार्थों के विरोध का सामना करना पड़ता है। फिल्म के अंत में डॉ॰ राव को झूठे मुकदमों में फँसाया जाता है तथा वे अपनी पत्नी के साथ वापस शहर चले जाते हैं, परन्तु तबतक सहकारी परिवर्त्तन की नींव रखी जा चुकी है, सहकारी समिति का चुनाव प्रजातांत्रिक रुप से संपन्न होता है। छोटे एवं सीमान्त किसान मिश्रा डेयरी को दूध देने की बजाय समिति को दूध देना प्रारंभ करते हैं तथा पूरे परिवर्त्तन की प्रक्रिया में महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आश्चर्य नहीं कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रारंभ किये गये दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में महिलाओं की इतनी सशक्त भूमिका क्यों है।

सहकारी आंदोलन के संदर्भ में मंथन इस बात पर बल देता है कि सहकारी समितियों की सफलता के लिए प्रजातांत्रिक प्रबंधन के साथ–साथ संगठन के आधुनिक तकनीक, सदस्यों की व्यापक भागीदारी और बाजार से प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है।

सहकारी समितियों के संदर्भ में 'मंथन' निम्न प्रवृतियों एवं तथ्यों को उद्‌घाटित करता है :

1. यद्यपि सहयोग मानवजन्य है परन्तु सहयोग/सहकारी समितियों का संस्थागत सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता, अनुशासन एवं प्रबंधन आवश्यक है।
2. सहकारी समितियों के संदर्भ में प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ–साथ तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षता (Techno-Managerial Competence) भी अत्यंत आवश्यक है।
3. सहकारी समितियों की सफलता के लिए ग्रामीण/स्थानीय स्तर पर सामाजिक विभाजन, प्रभुत्व एवं शोषण की प्रकृति को समझना जरूरी है।
4. सहकारी नेतृत्व समाज के किसी भी तबके से आ सकता है। सहकारी समितियों को गतिशील एवं सशक्त बनाने में पारंपरिक रूप से शोषित सामाजिक तबकों यथा, दलितों एवं महिलाओं की अहम भूमिका है।
5. सहकारी समितियों को अंततः अपने बल–बूते आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसके लिए केवल उत्पादन काफी नहीं है बल्कि उत्पाद का सफल विपणन भी आवश्यक है।
6. 'मंथन' में भोला सोसाइटी को भले ही सिसोटी बोलता है परन्तु भोला को गाँव के वर्त्तमान एवं भविष्य की सम्यक् समझ है। भोला का अविश्वास स्वाभाविक है परन्तु जब वह एक बार सहकारी समिति के परिवर्त्तनकारी संभावनाओं को समझ लेता है तो उसकी प्रतिबद्धता संपूर्ण है और भोला की यह प्रतिबद्धता एक व्यापक प्रतिबद्धता का सांकेतिक रुप है, जो किसी भी परिवर्त्तन के केन्द्र में होता है।

हम आशान्वित हैं कि राज्य की सहकारी समितियाँ प्रजातांत्रिक प्रबंधन और व्यावसायिक दक्षता के साथ अपने सदस्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।

संजय कुमार
जन संपर्क पदाधिकारी,
सहकारिता विभाग, बिहार

रतनपुर पैक्स: सहकारिता के बढ़ते कदम

अरविन्द कुमार पासवान
जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल

ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास हेतु ''सहकारिता'' एक सशक्त माध्यम है, जो कृषि और कृषकों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहकारिता विभाग के बढ़ते परिधि और दायरा के कारण सुपौल, जो कभी कोशी नदी की विभीषिका के कारण आर्थिक विपन्नता का द्योतक बना हुआ था, में किसान आज धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, उचित दामों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं फसल सहायता योजना से लाभान्वित होकर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। सहकारिता के विकास के साथ ही स्वच्छ भारत, सुखी भारत और स्वाभिमानी भारत बन सकता है। इसका उदाहरण सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल के बसंतपुर प्रखंडान्तर्गत रतनपुर पैक्स है, जो लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

पैक्स अध्यक्ष श्री जागेश्वर मेहता की 70 वर्ष की उम्र में सक्रियता एवं जुझारूपन तथा पैक्स प्रबंधक, श्री संतोष कुमार के पारदर्शी कार्य प्रणाली एवं मिलनसार व्यक्तित्व के साथ–साथ पैक्स में कम्प्यूटराईजेशन, उर्वरक व्यवसाय, धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, राईस मिलिंग के साथ–साथ किसानों के साथ लगातार कृषक संगोष्ठि कर नई–नई जानकारी देने, ऑनलाईन आवेदन हेतु मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध कराना, सदस्यता प्रदान करने हेतु खुली व्यवस्था, आम सभा का समय से आयोजन, प्रबंधकारिणी सदस्यों की नियमित बैठक, समयबद्ध अंकेक्षण आदि कारणों से पैक्स अपनी एक अलग पहचान बनाये हुए है। रतनपुर पैक्स द्वारा किये जा रहे सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप में गुणोत्तर वृद्धि को निम्नलिखित मुख्य कार्यों से समझा जा सकता है :

पैक्स मुख्यालय

पैक्स का मुख्यालय बीरपुर से बीहपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 106 के पथ पर लगभग 60 डिसमिल परिसर में अवस्थित है, जिसमें सामुदायिक भवन, गोदाम, राईस मिल, गैसीफायर एवं ड्रायर निर्मित है। भौगोलिक रूप से पैक्स मुख्यालय मध्य में अवस्थित रहने के कारण सड़क के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में अवस्थित 09 राजस्व ग्रामों के लगभग 1,700 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य एवं उत्पादन में लाभ पहुँचाने में मददगार बनी हुई है।

कृषक संगोष्ठी:

पैक्स द्वारा लगातार कृषक संगोष्ठी आयोजित कर किसानों को कृषि से जुड़े हुए अद्यतन एवं नवीनतम जानकारी देने के साथ–साथ सहकारिता विभाग की योजनाओं एवं उससे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जाती है, जिससे किसानों को वैज्ञानिक एवं समयबद्ध तरीके से कृषि कार्य करने से कम लागत में अधिक उत्पादन तथा सही तरीके से विपणन करने से अधिक लाभ अर्जित हो पाता है, जो किसानों के आर्थिक उन्नयन में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है।

उर्वरक व्यवसाय:

किसानों को ससमय उचित मूल्य पर मिलावट रहित उर्वरक वितरण करने से किसानों में पैक्सों के माध्यम से उर्वरक खरीद कर उपयोग करने की प्रवृति में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी कारण पैक्स में उर्वरक की मांग सालों भर बनी रहती है। उर्वरक की बिक्री में गत् पाँच वर्षों में किसानों की संख्या में लगभग 193% एवं उर्वरक बिक्री में 750% से अधिक की वृद्धि के साथ–साथ पैक्स में 27 लाख से अधिक का वार्षिक उर्वरक व्यवसाय लगभग 1,000 किसानों से किया गया।

उर्वरक वितरण से संबंधित जानकारी

क्रं.	वित्तीय वर्ष	बिक्री की गई उर्वरक (बैग की संख्या)	राशि	किसान सदस्यों की संख्या	अभियुक्ति
1	2015–16	1014	2,76,514	338	गत पाँच वर्षों में किसानों की संख्या में 193% एवं उर्वरक बिक्री में 750% की वृद्धि हुई साथ ही साथ 27 लाख से अधिक का उर्वरक व्यवसाय किया गया।
2	2016–17	1140	2,91,600	380	
3	2017–18	1316	3,24,520	432	
4	2018–19	1422	3,78,379	407	
5	2019–20	8690	27,03,385	991	

धान अधिप्राप्ति:

किसानों को उनके उपज एवं अधिशेष उत्पादन के ब्रिक्री तथा खुले बाजार में डिस्ट्रेस मूल्य से बचाने के लिए धान अधिप्राप्ति का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रतनपुर पैक्स द्वारा वर्ष 2011 से लगातार धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है।

विगत वर्षों के धान अधिप्राप्ति कार्यों से संबंधित सारणी:

क्र.	अधिप्राप्ति वर्ष	अधिप्राप्ति धान की मात्रा (क्विंटल में)	किसानों की संख्या	अभियुक्ति
1	2013–14	15654.60	208	अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध शत–प्रतिशत् धान/चावल की आपूर्ति निगम को किया जाता रहा है। धान अधिप्राप्ति में 2013 से 2019 के बीच में 95% एवं किसानों में 95% से अधिक की वृद्धि हुई।
2	2014–15	15762.00	214	
3	2015–16	18433.40	235	
4	2016–17	17507.40	257	
5	2017–18	14748.40	178	
6	2018–19	23538.30	401	
7	2019–20	30577.80	523	

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रतनपुर पैक्स द्वारा किसान सदस्यों को लगभग 5.55 करोड़ न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि से लाभान्वित करने के साथ–साथ अगर तत्कालीन बाजार मूल्य की तुलना की जाय तो निश्चित रूप से सिर्फ रतनपुर पैक्स द्वारा किसानों को लगभग 2.00 करोड़ से अधिक डिस्ट्रेस मूल्य से संरक्षित करने का कार्य किया गया। समिति प्राथमिकता के आधार पर 5 क्वींटल या उससे कम मात्रा की धान तक की अधिप्राप्ति कर अपने छोटे व मझोले किसान सदस्यों को लाभान्वित करती आ रही है, जिससे छोटे–से–छोटे किसानों में पैक्सों के प्रति साख में वृद्धि देखने को मिल रहा है और इससे बगल के पैक्सों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने से वहाँ के संबद्ध किसानों में भी सहकारिता के प्रति विश्वास देखने को मिल रहा है। धान अधिप्राप्ति में अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण रतनपुर पैक्स द्वारा समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का मुफ्त ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं वृहत् स्तर पर धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम का उद्घाटन तथा मेगा अधिप्राप्ति कार्य के साथ–साथ बगल के अक्रियाशील पैक्सों के किसानों से भी अधिप्राप्ति करना रहा है।

धान मिलिंग का कार्य:

रतनपुर पैक्स में विभाग द्वारा स्थापित 1.5 MT प्रति घंटा क्षमता की दर से मिलिंग की जानेवाली राईस मिल–सह–गैसीफायर, ड्रायर मशीन से युक्त होने के कारण गुणवत्तायुक्त मानक के अनुरूप CMR राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करता है। वर्ष 2019–20 में रतनपुर पैक्स राईस मिल द्वारा रतनपुर पैक्स एवं अन्य संबद्ध पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति की गई धान की कुल मात्रा 47,356.3 क्विंटल का मिलिंग कर शत–प्रतिशत निर्धारित समय के पूर्व राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति कर नया मानक स्थापित किया। साथ ही, अधिप्राप्ति वर्ष 2018–19 में मिलिंग के उपरान्त ब्रांन एवं भूसा आदि से लगभग 9.50 लाख रूपये से अधिक अर्जित किया।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ:

रतनपुर पैक्स के किसानों को सहकारिता विभाग द्वारा संचालित बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत् खरीफ 2018 में कैम्प आयोजित कर निःशुल्क ऑनलाईन निबंधन किये जाने के कारण प्रखंड में प्रथम रहा तथा लगातार प्रचार–प्रसार कृषक संगोष्ठि, निःशुल्क ऑनलाईन व्यवस्था के कारण खरीफ 2020 में भी वृहत् संख्या में किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराया गया है।

वीरपुर. त्रिवेणीगंज. राघोपुर. प्रतापगंज

योजना• रतनपुर में प्राथमिक कृषि साख समिति की कार्यशाला का आयोजन

धान खरीद व फसल बीमा का किसान खुद कराएं निबंधन

भास्कर न्यूज़ | रतनपुर

प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड के तत्वावधान में रतनपुर पंचायत में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए सदस्यता ग्रहण करने एवं बिहार राज्य फसल बीमा के तहत निबंधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से रैयत एवं गैर रैयत किसान अपना कागजात देकर खुद का निःशुल्क निबंधन करा सकते हैं।

कार्यशाला के आयोजक एवं रतनपुर पैक्स के प्रबंधक संतोष कुमार मेहता तथा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी विकास चंद पंकज ने बताया कि निबंधन के इच्छुक रैयत के लिए जमीन का एलपीसी, आधार कार्ड एवं बैंक का पासबुक,स्वघोषणा पत्र तथा गैर रैयत के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो के साथ स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रतनपुर पैक्स में योग्य व्यक्तियों के लिए सदस्यता ग्रहण करने का भी कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष जागेश्वर मेहता, बसंतपुर प्रखंड के कार्यपालक सहायक गुरुदेव शर्मा, सरपंच रामचंद्र प्रसाद भगत, उपमुखिया संजय कुमार यादव, पूर्व पंसस कृष्णदेव गोईत, तपेश चंद्र मिश्र, पवन कुमार मेहता, किसान सलाहकार शंकर कुमार साह, उपसरपंच सहित पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

रतनपुर में कार्यशाला में भाग लेते किसान व अन्य।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य: पैक्स न सिर्फ विभागीय दायित्वों का निर्वहन करता है अपितु महत्त्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन में भी बढ़–चढ कर हिस्सा लेता रहा है, जैसे–

(क) वृक्षारोपण :

रतनपुर पैक्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी किसानों को जागरूक करने के साथ–साथ वृक्षारोपण का कार्य अपने परिसर के साथ–साथ वन विभाग से समन्वय स्थापित कर किसानों को भी वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान करता है।

(ख) मानव श्रृंखला :

सरकार द्वारा प्रायोजित नशा–मुक्ति या बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन प्रथा के विरूद्ध बनाये जाने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने में भी प्रमुखता के साथ अपनी भागीदारी निभाई।

(ग) कोविड–19 :

कोविड–19 में जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट, सेनिटाईजर, साबुन एवं मास्क वितरण के साथ–साथ पंचायत क्षेत्र में साफ–सफाई एवं सेनिटाईजेशन का कार्य किया गया। साथ ही, इस हेतु पैम्पलेट आदि का वितरण कर लोगो में जागरूकता लाने का भी कार्य किया गया।

उक्त के अलावे पैक्स बहुत जल्द मल्टी फेसिलिटी केन्द्र के रूप में भी अपने आपको विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है, जिससे कि किसानों को अधिक–से–अधिक कृषि आधारित सेवाएँ सुलभ एवं कम लागत में मिल सके।

प्रस्तावित मधुमक्खीपालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

सुभाष कुमार
सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 में पूरे भारत वर्ष में 2,63,538 किसान मधुमक्खीपालन में लगे हुए थे। उनमें से बिहार के मधुमक्खीपालक किसानों की संख्या 17,528 थी। वर्ष 2010–11 में देश का कुल शहद उत्पादन 1,12,012 MT था। इसका 6.5% यानी 7,355 MT शहद का उत्पादन बिहार में होता था। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 में देश के कुल शहद उत्पादन 84,089 MT का 8.75% यानी 7,356 MT शहद बिहार द्वारा उत्पादित किया जाता था। वर्ष 2012–13 में देश में शहद का उत्पादन 91,657 MT था, जिसका 8.75% यानी 8,018 MT शहद बिहार में उत्पादित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य था।

मधुमक्खीपालन से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान में राज्य में शहद का उत्पादन 20,000 MT से अधिक है। बिहार में उत्पादित शहद की गुणवत्ता काफी उच्च होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। लेकिन अभी तक शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में समन्वित एवं संगठित प्रयास नहीं होने के कारण हमारे किसानों को अपने उत्पादों के बिक्री के लिए पूर्णतः निजी क्षेत्र पर ही आश्रित होना पड़ता है। इस कारण मधुमक्खीपालकों का निजी उद्यमियों एवं उनके बिचौलियों द्वारा काफी शोषण किया जा रहा है। उपभोक्ता बाजार से 300–400 रूपये प्रति किलो शहद खरीदते हैं, जबकि किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य 70–80 रूपये प्रति किलो से अधिक नहीं मिलता है। इस शोषण के कारण मधुमक्खीपालक हतोत्साहित भी हो रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की परिकल्पना की गयी है। इस योजना के निम्नांकित उद्देश्य हैं :

(i) राज्य के मधुमक्खीपालकों के हितों को सुरक्षित करते हुए उनकी आय में वृद्धि करना।

(ii) सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बेहतर विपणन व्यवस्था कर मधुमक्खीपालकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना।

(iii) आधुनिक तकनीक एवं प्रशिक्षण को बढावा देकर शहद के साथ–साथ अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन द्वारा मधुमक्खीपालकों के आय को बढ़ाना।

(iv) बिहार राज्य में शहद के साथ अन्य उपोत्पादों यथा पराग (Bee Pollen), प्रोपालिस (Bee Propolis), मोम (Bee Wax) रॉयल जेली (Royal Jelly), मधुमक्खी विष (Bee Vanom) इत्यादि के उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन को सहकारी ढांचे के तहत् बढ़ावा देना।

(v) रोजगार के नए अवसर सृजित करना।

(vi) परागण की क्रिया द्वारा राज्य के विभिन्न फसलों एवं बागवानी उत्पादों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

(vii) राज्य के किसानों के आय को दुगुनी करना।

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस प्रस्तावित योजना के प्रमुख अंग निम्नांकित है :

1. **सहकारी संरचना का निर्माण:** इस प्रस्तावित योजना के तहत बिहार राज्य में द्विस्तरीय सहकारी संरचना का निर्माण किया जाएगा। प्रथम स्तर पर प्रखंडों में प्राथमिक मधुमक्खीपालक सहकारी समितियाँ गठित की जा रही है। वर्तमान मधुमक्खीपालक या इच्छुक मधुमक्खीपालक इसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकेंगे। प्राथमिक मधुमक्खीपालक सहकारी समितियों को मधुमक्खीपालन, शहद एवं अन्य उपोत्पादों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की जिम्मेवारियाँ दी जायेगी तथा द्वितीय स्तर पर राज्यस्तरीय शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन संघ गठित किया जायेगा। इस संघ के सदस्य के रूप में राज्य की सभी प्राथमिक मधुमक्खीपालक सहकारी समितियाँ शामिल हो सकेंगी। संघ की जिम्मेवारी मधुमक्खीपालन, शहद तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन इत्यादि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक, वित्त, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान इत्यादि की व्यवस्था करना होगा। संघ अपने नेतृत्व एवं निदेशन में राज्य के मधु को विशेष गुणवत्ता के साथ एक ब्रांड के रूप में विकसित कर उसके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विपणन की व्यवस्था करेगा।

2. **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी:** राज्य में मधुमक्खीपालन, शहद तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु आधुनिकतम सुविधाओं के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी की जा रही है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

   - सहकारी समितियों के सदस्यों को मधुमक्खीपालन हेतु आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराना,
   - चयनित सहकारी समितियों में अन्य मधुमक्खी उत्पादों यथा पराग, मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी विष के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की भी व्यवस्था करना।
   - प्राथमिक समिति स्तर पर शहद के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की आधुनिकतम सुविधाएं सृजित करना।
   - शहद एवं अन्य उत्पादों के गुणवत्ता परिक्षण हेतु आधुनिकतम प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
   - मधुमक्खीपालन में आने वाली समस्याओं के अध्ययन एवं उनके निदान हेतु संस्थागत ढांचा तैयार करना।
   - इस योजना से संबंधित सभी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए एक आधुनिक सूचना केन्द्र (तकनीकी एवं विपणन सूचना हेतु) स्थापित करना।
   - मधुपालकों एवं इससे जुड़े हितधारकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
   - राज्य में उत्पादित मधु को एक विशिष्ट ब्राण्ड के रूप में विकसित कर उसके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विपणन हेतु सभी आधुनिक सुविधाओं के निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था करना।
   - मधुमक्खीपालन एवं मधुमक्खी उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
   - राज्य की अन्य संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर मधुमक्खीपालन एवं इसके उत्पादों के उत्पादन भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित करना।
   - विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

3. **वर्तमान पहल:** वर्तमान में मधुमक्खीपालन का कार्य करने वाले कुल 20 जिलों को तीन क्लस्टर के रूप में वर्गीकृत करते हुए प्रथम चरण हेतु चयनित किया गया है। इन 20 जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कुल 197 प्रखंडों में प्राथमिक मधुमक्खीपालक सहकारी समितियों का गठन एवं निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के तहत करने का निदेश संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्गत कर दिया गया है।

कलस्टर 1

क्रं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	पूर्वी चंपारण	मोतिहारी, तुरकौलिया, कोटवा, अरेराज, पहाड़पुर, हरसिद्धि, रक्सौल, रामगढवा, कल्याणपुर, चिरैया, बनकटवा, मधुबन, फेनहारा, पकड़ीदयाल, पताही, चकिया, तेतरिया एवं मेहसी
2	मुजफ्फरपुर	मीनापुर, बोचहाँ, मुशहरी, कुढनी, सकरा, मुरौल, बंदरा, मड़वन, पारू, सरैया, साहेबगंज, मोतीपुर, काँटी, गायघाट, औराई एवं कटरा
3	वैशाली	गोरौल, बिदुपुर, देसरी, लालगंज, सहदेई बुजुर्ग, राजापाकर, चेहराकला, महुआ, पातेपुर, जन्दाहा, हाजीपुर, महनार, वैशाली, पटेढ़ी बेलसर एवं भगवानपुर
4	समस्तीपुर	दलसिंहसराय, खानपुर, समस्तीपुर, पटोरी, सरायरंजन, पूसा, उजियारपुर, हसनपुर, विभूतिपुर, ताजपुर, रोसड़ा, कलयाणपुर, वारिसनगर एवं विद्यापतिनगर
5	बेगुसराय	बेगूसराय, भगवानपुर, वीरपुर, मंसूरचक, साहेबपुर कमाल, मटिहानी, बलिया, बखरी, बछवाड़ा एवं चेरिया बरियारपुर
6	खगड़िया	अलौली, बेलदौर, चौथम, गोगरी, खगड़िया, मानसी एवं परबत्ता

कलस्टर 2

क्रं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
7	पटना	पटना सदर, नौबतपुर, दानापुर, पालीगंज, पुनपुन, खुसरुपुर, फतुहा, मनेर, बिहटा, मसौढ़ी एवं बख्तियारपुर
8	भोजपुर	आरा, कोइलवर, पीरो एवं जगदीशपुर
9	बक्सर	बक्सर, चौसा, राजपुर एवं इटाढ़ी
10	सासाराम	सासाराम, शिवसागर, चेनारी, करगहर, कोचस, नोखा, डिहरी, अकोढ़ीगोला, तिलौथु, रोहतास, नौहट्टा, बिक्रमगंज, दावथ, सुर्यपुरा, संझौली, काराकाट, नासरीगंज, दिनारा एवं राजपुर
11	नालंदा	एकंगरसराय, बिहारशरीफ, बिन्द, हिलसा, सिलाव, हरनौत, परवलपुर, रहुई, राजगीर, वेन, चंडी, नूरसराय, नगरनौसा एवं अस्थावां
12	गया	आमस, बांकेबाजार, बाराचट्टी, बेलागंज, बोधगया, डोभी, फतेहपुर, नगर, गुरारू, गुराआ, इमामगंज, खिजरसराय, कोंच, मानपुर, मोहनपुर, परैया, टिकारी एवं वजीरगंज
13	अरवल	अरवल एवं कुर्था

कलस्टर 3

क्रं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
14	सुपौल	बसंतपुर सरायगढ़–भपटियाही
15	पूर्णियाँ	बनमनखी, बरहरा कोठी, भवानीपुर, रुपौली एवं श्रीनगर
16	किशनगंज	किशनगंज, टेढ़ागाछ, पोठिया, ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक
17	भागलपुर	सबौर, कहलगाँव, खरीक, जगदीशपुर, पीरपैंती, नारायणपुर, गोपालपुर, नवगछिया, रंगरा चौक एवं सुल्तानगंज
18	बांका	बौसी, बाराहाट, बेलहर, कटोरिया, बांका, चान्दन, शम्भुगंज, रजौन एवं अमरपुर
19	मुंगेर	सदर मुंगेर, जमालपुर, धरहरा, हवेली खड़गपुर, तारापुर एवं असरगंज
20	जमुई	खैरा, ई०अलीनगर, सिकन्दरा, सोनो, चकाई, झाझा, गिद्धौर एवं बरहट

प्राथमिक समितियाँ निबंधन के पश्चात वर्तमान मधुमक्खीपालकों से मधु का संग्रहण कर उसके विपणन की व्यवस्था तत्काल प्रारंभ करेगी। साथ ही मधुमक्खीपालन के इच्छुक सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिला कर उन्हें राज्य में उद्यान निदेशालय द्वारा वितरित किए जाने वाले मधुमक्खीपालन उपकरण उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगी। इस कार्य में संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी अपने जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर समिति सदस्यों को सभी प्रकार का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुमक्खीपालकों एवं अपने जिला के सहकारी बैंक से समन्वय स्थापित कराकर सहकारी समितियों के सदस्य एवं मधुमक्खीपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

सहकारी समितियां समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं की संयुक्त देयता समूह बना कर उन्हें मधुमक्खीपालन से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करेंगी।

वर्तमान में मधुमक्खीपालन एवं उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन में कार्य कर रही सहकारी समितियों को भी इस योजना के तहत शामिल करते हुए उनके आधारभूत संरचना एवं अनुभव का लाभ प्राप्त किया जाएगा। जिन प्रखंडों में इस तरह की सहकारी समितियाँ पहले से संबंधित एवं कार्यरत हैं वहाँ नयी सहकारी समिति नहीं बनाकर इन्ही सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र प्रखंड स्तर तक विस्तारित करते हुए योजना में शामिल करने की कार्रवाई जिला सहकारिता पदाधिकारी करेंगे।

योजना के संभावित लाभ :

1. **प्रत्यक्ष लाभ :**

   (i) मधुमक्खीपालकों के आय में वृद्धि हो सकेगी एवं बिचैलियों के शोषण से मुक्ति दिलाया जा सकेगा।

   (ii) राज्य में शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होगी। बिहार देश का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन सकेगा।

   (iii) बिहार के शहद को एक विशिष्ट ब्राण्ड के तहत पहचान मिल सकेगी।

(iv) भारत वर्तमान में एक प्रमुख शहद निर्यातक देश है। शहद उत्पादन में वृद्धि विदेशी मुद्रा के अर्जन का साधन बन सकता है।

(v) नई तकनीकी को बढ़ावा देकर राज्य में अन्य उच्च मूल्य के मधुमक्खी उत्पादों यथा पराग (Bee Pollen), प्रोपोलिस (Bee Propolis), मोम (Bee Wax), रॉयल जेली (Royal Jelly), मधु विष (Bee Venoum) इत्यादि के उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

(vi) रोजगार के नए अवसर सृजित कर COVID-19 के तहत बेरोजगार हुए लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(vii) सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों विशेष कर महिलाओं को संयुक्त देयता समूह के रुप में गठित कर मधुमक्खीपालन से जोड़ कर उन्हें आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।

(viii) उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के शहद एवं अन्य उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2. **परोक्ष लाभ :**

(i) इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देकर मधुमक्खियों के द्वारा परागण की क्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कृषि एवं बागवानी फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि की जा सकेगी। एक अनुमान के अनुसार परोक्ष लाभ का मूल्य प्रत्यक्ष आय के बीस गुणा तक होना संभव है।

(ii) यह योजना राज्य के किसानों के आय को दुगुना करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से काफी प्रभावशाली भूमिका निभायेगा।

यह योजना उपभोक्ता के लिए मधु की मिठास एवं कृषकों के जीवन में खुशहाली लाने में सहायक सिद्ध होगा।

दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.: सकारात्मक परिर्वतन की विवेचना

अमर कुमार झा
प्रबंध निदेशक, दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., गया

दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., गया में सकारात्मक परिवर्तन को निम्नवत महत्वपूर्ण आंकड़ों से समझा जा सकता है:

क्र.	बैंक का विषय	14.07.2017 को बैंक की स्थिति	वर्त्तमान में बैंक की स्थिति
01	CRAR	–13.65 (ऋणात्मक) (नाबार्ड के अनुसार)	+9.52 (घनात्मक) (नाबार्ड के अनुसार)
02	डिपॉजिट	53 करोड़ (2018)	73 करोड़
03	सेक्शन–11 की स्थिति (B.R.Act)	सेक्शन–11 का उल्लंघन, अनुपालन नहीं	सेक्शन–11 से बाहर
04	ग्रेड	'डी'	'बी'
05	प्रॉफिट / लॉस	2.08 करोड़ Accumulated Loss	31 लाख प्रॉफिट
06	नाबार्ड से बैंक को प्राप्त अंक	30.5 / 100	53 / 100
07	एन.पी.ए.की स्थिति	19.10 प्रतिशत	16.5 प्रतिशत
08	बैंक में सॉर्ट फॉल	36 करोड़	0.88 करोड़ (माइग्रा मिलान का कार्य चल रहा हैं।)
09	बैंक प्रशासन	काफी कमजोर	अपेक्षाकृत सुधार

मेरे द्वारा बैंक में 14.07.2017 को योगदान दिया गया। बैंक की हालत अच्छी नहीं थी। इसमें सुधार के लिए कई प्रयत्न किये गये:

(1) CRAR में सुधार हेतू प्रयत्न:

(क) बैंक में 36 करोड़ का Short fall था। चार्टर अकाउंटेंट 5 माह से रि–कंसाईल कर रहे थे परंतु प्रगति नगण्य थी। चार्टर अकाउंटेंट अर्जुन एण्ड एसोसिएट्स की बैठक बुलाई गई। प्रगति नहीं होने का कारण अभिलेख की अनुपलब्धता बतलाया गया। चार्टर अकाउंटेंट का Reconciliation Charge चार्ज 25,000/– प्रतिवर्ष प्रति शाखा निर्धारित किया गया था। 1996 से 2017 तक कुल 21 वर्ष में इन्हें नौ (09) शाखाओं और मुख्यालय के लिए कुल 52.50 लाख दिया जाना था, जो एक बड़ी राशि थी। Reconciliation कार्य की प्रगति भी काफी असंतोषजनक थी। नये चार्टर अकाउंटेंट रवि एण्ड एसोसिएट्स को कुल चार्ज की 10 प्रतिशत राशि पर बात कर अग्रिमेंट करते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई। मुख्यालय एवं गया शाखा के सभी लेजर, जनरल एवं कैश बुक को ढूंढकर व्यवस्थित करते हुए चार्टर अकाउंटेंट टीम को उपलब्ध कराया गया। लगातार 50 दिन के अथक प्रयास से रिकार्ड समय में 21 वर्ष का Reconciliation बैंक मुख्यालय में बैठाकर कराया गया। Reconciliation से CRAR धनात्मक आ गया।

उस Reconciliation को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा स्वीकार किया गया। किंतु नाबार्ड के मुख्यालय मुम्बई के द्वारा आपत्ति की गई। तदुपरांत नाबार्ड द्वारा पुनः इसकी जाँच की गई।

Reconciliation करने वाले चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा शर्त के अनुसार सभी डाटा कम्प्युटर में 10 वर्षो के लिए सुरक्षित रखा गया है, इस कारण Reconciliation डाटा को देखकर नाबार्ड की टीम संतुष्ट हो गई।

(ख) बैंक में जमावृद्धि के लिए बैंक कर्मियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा उसके अनुरूप जमा में वृद्धि की गई।

(ग) CRAR में वृद्धि के लिए धान अधिप्राप्ति में दिए जाने वाले कैश क्रेडिट का 3 प्रतिशत शेयर कैपिटल के रूप में लिया गया। शेयर कैपिटल वृद्धि का सीधा प्रभाव CRAR वृद्धि में हुआ।

(घ) टीयर ।। में वृद्धि हेतु बैंक असेट का Re-evaluation कराया गया इससे CRAR में वृद्धि हुई।

(2) **डिपॉजिट में वृद्धि :** बैंक का डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कैम्प लगाकर खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पैक्सवार कैम्प का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशक स्वयं पूरी टीम के साथ (फॉर्म, फोटो कॉपियर मशीन आदि के साथ) कैम्प में गए। इससे एक–एक पैक्स में एक दिन में 200 तक नये बचत खाता खोले गए।

(3) **सेक्शन 11 से बैंक का बाहर आना :** CRAR में वृद्धि होने से बैंक स्वतः B.R.Act 1949 के सेक्शन 11 से बाहर आ गया। बैंक पर आर.बी.आई. कार्यवाही का डर समाप्त हो गया।

(4) **ग्रेड में सुधार :** बैंक को नाबार्ड से ग्रेड 'डी' दिया गया था। नाबार्ड के द्वारा BIRD लखनऊ में इसी विषय पर सभी 'डी' ग्रेड बैंक का कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें अधिक अंक लाने के तरीकों पर विस्तार से बतलाया गया। इस पर दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा अनुपालन किया गया।

कई सेल का गठन किया गया जैसेः Working Committee, Grievance Redressal Cell, Executive Committee, Investment Committee, Women Cell, Branch Inspection Register, Audit Committee, ALM/ALCO गठन, Vigilance Cell, Technical Committee आदि का गठन बैंक बोर्ड के बैठक के तहत किया गया। सभी कोषांगों का एक निश्चित अंतराल पर बैठक की गई। इस तरह बैंक को 100 में 53 अंक प्राप्त हुआ और बैंक 'डी' ग्रेड से 'बी' ग्रेड में अपग्रेड हुआ।

नाबार्ड/आर.बी.आई. द्वारा उठाये गए कमियों का अनुपालन बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के पूर्व किया गया। बैंक द्वारा नाबार्ड निरीक्षण का अनुपालन अधिकतम समय सीमा 60 दिनों के बदले 35 दिनों में ही भेजा गया। बिहार में दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक ऐसा करने वाला पहला बैंक बना।

(5) **बैंक के खर्च में कमी :**

(क) बैंक का खर्च असीमित था। शाखा स्तर पर प्रत्येक माह जेनरेटर खर्च के रूप में 15,000/– से 20,000/–रूपये का भुगतान किया जा रहा था। इस तरह एक वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख का खर्च बिजली के अतिरिक्त केवल जेनरेटर खर्च के रूप में हो रहा था। बैंक के निदेशक मंडल से प्रस्ताव पास कराते हुए वैसे सभी शाखा में 23,500/– का इन्वर्टर एवं बैटरी लगाया गया। इससे इस खर्च में कमी हुई।

(ख) शाखा स्तर पर बिना किसी वैध कारण के कार्यालय खर्च/इंटरटेनमेंट खर्च के नाम पर की गई निकासी जो अतार्किक थी, को शाखा प्रबंधक के वेतन से काटा गया। इससे शाखाओं में वित्तीय अनुशासन कायम हुआ।

(ग) बैंक के वार्षिक आम–सभा में जो खर्च पहले 11 लाख था। उसे घटा कर पहले वर्ष 2 लाख तक सीमित किया गया। वर्त्तमान में यह सीमा 3.50 लाख हैं।

(6) **एन.पी.ए. में कमी :**

(क) बैंक का एन.पी.ए. कम करने के लिए पिछले तीन सालों से लगातार प्रत्येक बुधवार को लोन रिकवरी कैम्प का आयोजन पैक्स स्तर पर की गई। वर्त्तमान में कोविड–19 के कारण कैम्प का आयोजन बंद हैं। सभी ऋण धारक पर लाल कार्ड, नोटिस एवं सर्टिफिकेट केस आदि दायर किया

गया। लोन रिकवरी कैम्प का प्रबंध निदेशक द्वारा लगातार भ्रमण किया गया। वन टाईम सेटलमेन्ट (ओ.टी.एस.) के तहत एन.पी.ए. हो चुके राशि का समाधान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से भी ऋण वसूली की गई।

(ख) पिछले पैक्स निर्वाचन में एन.पी.ए. वसूली की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनायी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र प्रेषित की गई। साथ ही, उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर बैंक के एन.ओ.सी. को अनिवार्य बनाया गया। इससे 2.28 करोड़ ऋण वसूली हुई। इसका परिणाम हुआ कि ग्रॉस एन.पी.ए. वर्त्तमान में घटकर 16.5 प्रतिशत हो गया।

(ग) दी मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि., बिहार का पहला बैंक बना जहाँ पैक्स निर्वाचन का नामांकन शुल्क (NR) जमा करने की पूर्ण व्यवस्था की गई। पूर्व के चुनावों में यह राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होता था, जो समिति के खाता में आना चाहिए। यह राशि अबतक बैंक में नहीं आयी थी। ऐसा करने से बैंक में NR/NOC के रूप में 89 लाख राशि जमा हुई।

(7) बैंक का सामान्य प्रशासन :

(क) बैंक का प्रशासन व्यवस्थित नहीं था। कर्मचारी एवं अधिकारी अभद्र एवं अनुशासनहीन थे। उद्दण्ड कर्मचारी को तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए सुदूर शाखा में स्थानांतरण किया गया। बैंक में स्थानांतरण नीति कार्यशील नहीं थी। बैंक के निदेशक मंडल से प्रस्ताव पारित कराते हुए स्थानांतरण नीति बनाई गई। प्रबंध निदेशक द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक शाखा में कार्यरत सभी स्थायी कर्मी का स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण आदेश को अक्षरशः लागू किया गया। इस स्थानांतरण आदेश में एक ऐसे भी कर्मी थे, जो पिछले 26 वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थापित थे। इन्हें बाद में वी.आर.एस. देकर सेवानिवृत्त कर दिया गया। बैंक के 5 अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त की गई तथा एक अनुसेवक को बर्खास्त किया गया।

(ख) शाखा को समय पर खोलना एवं बंद करना एक चुनौती पूर्ण कार्य था। औचक निरीक्षण एवं कार्यवाही से इसे दूर किया गया।

(ग) बैंक के अधिकांश कर्मियों का सर्विस बुक नहीं था। निजी संचिका भी काफी समय से अद्यतन नहीं हुआ था। सभी कर्मी का सर्विस बुक बनाया गया। अब उसमें सभी रिकॉर्ड दर्ज किये जाते हैं। स्पष्टीकरण को भी निजी संचिका में दर्ज किया जाता हैं।

(घ) कर्मी का प्राविडेंड फण्ड बैंक में ही रहता था। इसे EPFO में खाता खोलकर रखा जा रहा है। ऐसे कार्यों से कर्मी का विश्वास भी बैंक प्रबंधक में बढ़ा और वे अनुशासित हुए।

(ड़) बैंक में पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों के द्वारा प्रायः विवाद किया जाता था। पारदर्शी कार्य सम्पादन कराने से ये समस्या भी दूर हो गई।

(च) महिला कर्मी को सम्मानः– बैंक में महिला कर्मियों के साथ पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों/BCEO आदि के द्वारा अभद्र व्यवहार की सूचना प्राप्त होती थी। वे रोते हुए आकर प्रबंध निदेशक से शिकायत करती थी। इसे काफी गंभीरता से लिया गया। महिला विकास कोषांग का गठन करते हुए बैठक आयोजित कराई गई। लिखित शिकायत प्राप्त करते हुए आरोपी कर्मी, पैक्स अध्यक्ष आदि को सुधारा गया। वर्त्तमान में बैंक की महिला कर्मी एक सम्मानजनक स्थिति में हैं। महिला कर्मी को छः माह के मातृत्त्व अवकाश की स्वीकृति दी गई। हालांकि बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसी भी महिला कर्मी को पूर्व में सवैतनिक मातृत्त्व अवकाश नहीं दिया गया था। वर्त्तमान में बैंक बोर्ड से पारित कराते हुए बैंक के सभी महिला कर्मी को 6 माह का सवैतनिक मातृत्त्व अवकाश का लाभ दिया जा रहा है।

सहकारी बैंकों में सकारात्मक परिवर्तन बिल्कुल संभव हैं। इसके लिए सहकारी बैंकों को अपने अंतर्निहित ताकतों को पहचान कर प्रतिस्पर्धी बनना होगा। मैं आशान्वित हूँ कि मगध सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैक लि., गया में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना नई पहल

'सहकारी से तरकारी वार्त्ता'

विकास कुमार बरियार
नोडल पदाधिकारी, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न संस्थागत हितधारकों (Institutional Stakeholders) के बीच संवादहीनता की स्थिति या दिशाहीन संवाद के कारण योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के संदर्भ में इस समस्या पर काबू पाने के लिए 'सहकारी से तरकारी' वार्ता प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता विभाग एवं सब्जी उत्पादकों, संघ एवं फेडरेशन के कार्मिकों एवं अन्य संबंधित पक्षो के बीच बहुआयामी संवाद कायम करना है, जिससे प्रासंगिक सूचनाओं का आदान–प्रदान हो सके। सब्जी उत्पादकों के सशक्तिकरण में इसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही, उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाया जा सकता है।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सब्जी उत्पादक किसानो को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध कराना है।

योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से अवधारित है। ''सहकारी से तरकारी वार्त्ता'' इन तीनों स्तरों के बीच परस्पर लाभकारी संवाद को कायम करता है। इस संगठनात्मक संरचना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड के सब्जी उत्पादक किसानों को जोड़ते हुए प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) गठित की गई है। योजना अन्तर्गत व्यवसायिक परिचालन में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा अपने सब्जी उत्पादक कृषक सदस्यों से सही मूल्य पर समितियाँ निर्धारित उचित मूल्य पर खरीदी जानी है। पुनः अधिप्राप्त की गई सब्जियों का स्थानीय स्तर अथवा अग्रेतर स्तर पर विपणन कार्य किया जाना है।

योजना अन्तर्गत सब्जी उत्पादक कृषक सदस्यों के लिए लाभकारी पक्ष :

- लाभकारी मूल्य – सदस्यों से सब्जी खरीदगी का मूल्य मंडी आवक दर पर आधारित।
- पारदर्शी मूल्य व्यवस्था – सदस्यों को सब्जी मूल्य की अग्रिम सूचना।
- पारदर्शी भुगतान – सदस्यों से खरीदगी किए गए सब्जी का भुगतान खाता के माध्यम से।
- बिचौलियों से मुक्ति – सदस्य अपनी सब्जी प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को बेच सकेंगे।

- लाभकारी सौदे की शक्ति – व्यक्तिगत किसान की तुलना में समिति के माध्यम से बाजार में लाभकारी सौदे की शक्ति।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा – सदस्यों को संबंधित सहकारी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा।

योजना के कार्यान्वयन के क्रम में संगठनात्मक संरचना के सृजन के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा सब्जी उत्पादकों को प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य बनाना एवं बने हुए सदस्यों को योजना की व्यवस्था, प्रक्रियात्मक पक्ष तथा सदस्यों के लिए लाभकारी पक्ष से अवगत कराते हुए उन्हें सक्रिय करना है। इस क्रम में प्रथमतः सदस्यों के व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ–साथ सब्जी उत्पादन से जुड़े सभी यथा आवश्यक सूचनाओं जैसे कितने रकबा पर किस प्रकार की सब्जी उत्पादन करते है, खेती के लिए आवश्यक उपादान (inputs) कहां से प्राप्त करते हैं आदि को डिजिटाईज किया गया। साथ ही क्षेत्र के अन्तर्गत सब्जी उत्पादक कृषको को प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य बनने की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया ताकि उन्हें सदस्य बनने में कोई कठिनाई भी न हो एवं उनकी सभी सूचनाऐं भी ऑन लाईन उपलब्ध हो सके।

इन सभी सूचनाओं का प्रथम उपयोग सब्जी उत्पादक सदस्यों को योजना से जोड़ने एवं उन्हें सक्रिय करने के उद्देश्य से नई पहल के रूप में "सहकारी से तरकारी वार्त्ता" के रूप में जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय कर्मी, पदाधिकारी के साथ–साथ योजना से जुड़े राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सदस्य सब्जी उत्पादको से दूरभाष पर सीधी वार्त्ता की जाती है।

सहकारिता विभाग कोविड–19 महामारी की परिस्थिति में योजना से आच्छादित 10 जिलों (पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर) के 2500 से ज्यादा सब्जी उत्पादक सदस्यों से सीधा संवाद स्थापित किया है। योजना से होने वाले लाभ से अवगत कराया है, उन्हें सक्रिय किया है, तथा उनकी समस्याओं से अवगत होकर उन समस्याओं को दूर करने का सार्थक प्रयास भी कर रहा है।

पैक्स कम्प्यूटराइजेशन

नितिन मिश्रा
आई.टी. सपोर्ट, सहकारिता विभाग

पैक्स एवं व्यापार मंडल का डिजिटलीकरण बिहार राज्य के ई–गवर्नेंस मिशन को एक कदम और आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पैक्स एवं व्यापार मंडल का कम्प्यूटराइजेशन सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना अंतर्गत बिहार राज्य के 8463 पैक्स एवं 534 व्यापार मंडल का कंप्यूटरीकरण किया जाना हैं।

इस योजना के मुख्य उदेश्य निम्नलिखित हैं :

(क) पैक्स एवं व्यापार मंडल के कार्यो में सरलता एवं पारदर्शिता लाना।

(ख) उनके दस्तावेजों को नष्ट और गायब होने से बचाना।

(ग) पैक्स एवं व्यापार मंडल के अंतर्गत होने वाले सभी वित्तीय लेन–देन को डिजिटल करना।

(घ) सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल के सदस्यों का डेटाबेस तैयार करना एवं सभी को एक पहचान संख्या उपलब्ध कराना।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सहकारिता विभाग की ओर से निम्न कदम उठाये गए है :

(क) पैक्स एवं व्यापार मंडल के अंतर्गत होने वाले सभी वित्तीय लेन–देन की प्रविष्टि के लिए एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण में पटना जिले अंतर्गत सभी पैक्सों के वित्तीय लेन–देन की प्रविष्टि का शुभारंभ किया जा चूका है। अगले चरण में राज्य के सभी पैक्सों में इसे लागू किये जाने की योजना है।

(ख) सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल के सदस्यों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई–सदस्यता को विभागीय सचिव, श्रीमती बन्दना प्रेयषी के द्वारा 21 अगस्त, 2020 को शुभारंभ किया गया है। ई–सदस्यता का उद्देश्य सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल के सदस्यों का डेटाबेस तैयार करना एवं सभी को एक पहचान संख्या उपलब्ध कराना है।

(ग) सहकारिता विभाग की और से ऑनलाइन सदस्य बनने की सुविधा भी प्रदान की गई है, इसके माध्यम से

कोई भी किसान पैक्स में सदस्य बनने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से 4 लाख से ज्यादा किसान पैक्स में सदस्य बने हैं।

(घ) सहकारिता विभाग सोसायटियों का भी डेटाबेस तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। साथ ही, अब सोसाइटी का पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जा रहा हैं।

इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् पैक्स एवं व्यापार मंडल की कार्यशैली में अभूतपूर्व बदलाव आयेंगे जो निम्न हैं :

(क) पैक्स एवं व्यापार मंडल के अंतर्गत होने वाले सभी वित्तीय लेन–देन का ई–वाउचर बनेंगे, जिसे पैक्स अध्यक्ष कभी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त कर सकते है, उन्हें कागजी प्रति रखने से छुटकारा मिलेगा साथ ही उनके दस्तावेजों को नष्ट और गायब होने से बचाया जा सकेगा।

(ख) पैक्स एवं व्यापार मंडल के वित्तीय लेन–देन डिजिटल हो जाने से ऑडिट करना आसन हो जाएगा, तथा पैक्स एवं व्यापार मंडल जो दस्तावेजों के अभाव में वित्तीय अनियमितता के शिकार हो जाते थे, से बच पायेंगें।

(ग) पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष अपने किसी भी सदस्य की जानकारी तुरंत पा सकेंगे।

(घ) पैक्स एवं व्यापार मंडल के डिजिटलीकरण हो जाने से बिहार सरकार के कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को पारदर्शी तरीके से सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है।

झलकियाँ

'सहकार संवाद' के प्रथक अंक का विमोचन करते माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के द्वारा धान अधिप्राप्ति निबंधन का शुभारंभ

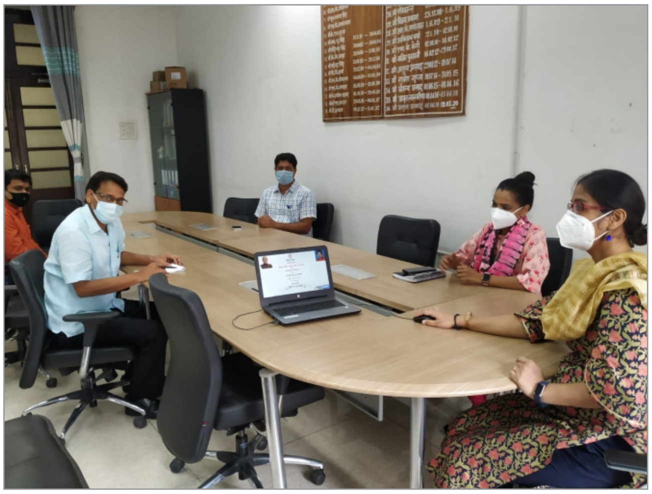

पैक्स सदस्यों के ऑनलाईन डेटा बेस प्रविष्टि का सचिव, सहकारिता विभाग के द्वारा शुभारंभ

भोजपुर में मधुमक्खीपालकों से वार्ता

पैक्स सदस्यों की कुंडली कंप्यूटर में कैद होगी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के 8463 पैक्सों के सवा करोड़ सदस्यों की पूरी कुंडली कंप्यूटर में कैद होगी। इसकी शुरुआत नेउरा पैक्स से शुक्रवार को हो गई। अब कोई भी पैक्स अपने सदस्यों के नाम, पता या फिर दूसरे ब्यौरे से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।

का नाम चढ़ाकर की। उम्मीद है जल्द ही कंप्यूटर में पूरा डिटेल जाएगा। इससे विभाग को योजना संचालन में आसानी तो होगी ही करोड़ बीस लाख किसानों का मो नम्बर के साथ सही नाम व पता भी जाएगा। सदस्यों का पूरा डिटेल कं में कैद हो जाने से दूसरी योजना

सब्जी उत्पादक किसानों को भी केसीसी देंगे सहकारी बैंक

खेती-किसानी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सहकारी बैंक सब्जी उत्पादक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। लेकिन, इसके लिए किसानों को प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी होगा। बैंक के इस फैसले का लाभ उन दस जिलों के किसानों को मिलेगा जहां ये समितियां गठित हैं। आगे सभी जिलों में

वाणिज्यक बैंकों से काफी आगे हैं। चूंकि ये बैंक किसानों के लिए ही काम करते हैं लिहाजा इन बैंकों से केसीसी लेने के लिए किसी भी किसान को किसी न किसी पैक्स से जुड़ा होना जरूरी होता है। लेकिन अब ये बैंक उन किसानों को भी लोन या केसीसी दे पाएंगे जो वेजफेड से जुड़ी समितियों के सदस्य हों। बैंक के एमडी अखिलेश कुमार सिंह ने सभी सहकारी बैंकों को यह आदेश दे दिया है। साथ ही बैंकों को इसपर जल्द काम शुरू करने को कहा है। एमडी ने कहा है कि अगले हफ्ते से ...ह इसकी समीक्षा होगी कि ...क ने सब्जी उत्पादकों को ...केसीसी दिया।

10 जिलों में बनी हैं समितियां | 95 समितियां बनी हैं पटना में | 62 समितियां हैं तिरहुत में | 10 हजार किसान जुड़े हैं समितियों से

सफलता

सरकार की इस पहल में किसानों के पास पूंजी का अभाव एक बड़ा बाधक बन रहा था। लिहाजा वेजफेड के एमडी अनंद शर्मा ने इसके लिए सहकारी बैंकों से बात की और इस नई पहल की शुरुआत हो गई।

उद्देश्य

सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस सपने को साकार करने के लिए वेजफेड का गठन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की हर थाली में बिहार का कोई न कोई व्यंजन होना जरूरी है। उद्देश्य है कि कंफेड से जिस तरह से दूध कई राज्यों में जाता है उसी तरह वेजफेड के माध्यम से बिहार की सब्जी को भी देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए।

इन जिलों को: पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण

सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों से करेंगे प्रतिस्पर्धा

पटना सिटी | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये बैंक अपने ...साय का विस्तार करने के साथ ही ...कों की सुविधा भी बढ़ा रहे हैं। ...म और रुपे कार्ड भी अब इन बैंकों ...हकों को मिलने लगे हैं। ग्राहकों को ...में बैंकिंग सुविधा मिले, इसके लिए ...अभिकर्ता (एजेंट) भी बहाल कर ...हैं। लिहाजा अब ये बैंक लाभ में ...ने लगे हैं। अकेले राज्य सहकारी ...ने पिछले वर्ष 42 करोड़ का लाभ ...त किया। केन्द्रीय सहकारी बैंकों ...बैलेंसशीट इससे अलग है।

...राज्य में किसानों का सबसे अधिक ...बार सहकारी बैंकों के माध्यम से ...होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ...बीएस) से जुड़ने के साथ ही राज्य ...बैंकों में नई तकनीक का इस्तेमाल ...हो गया है। निचली इकाई से ऊपर

नई शाखाएं खोली जा रहीं

राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक और 22 केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक हैं। ग्राहकों के पास पहुंचने के लिए जिला सहकारी बैंक अपनी तीन नई शाखाएं खोल रहा है। सुपौल की शाखा की मंजूरी रिजर्व बैंक से मिल चुकी है। इसके अलावा छपरा और दरभंगा में शाखा खोलने का प्रस्ताव है। नई शाखाओं के खुल जाने से राज्य में जिला सहकारी बैंकों की 25 शाखाएं हो जाएंगी। उधर, राज्य सहकारी बैंक की 11 शाखाएं भी हो गई हैं। इनमें केवल पटना में इसकी पांच नई शाखाएं हैं। राज्य के 705 पैक्सों को इन बैंकों ने माइक्रो एटीएम के रूप में मान्यता दी है।

कार्ड (केसीसी) की जगह अब ... कार्ड दे रहे हैं। इससे कार्ड की लि... के अंदर किसान अपनी जरूरत अनुसार पैसा निकाल सकते हैं। जि... राशि निकालेंगे उसी पर बैंक

पूरी दुनिया चखेगी बिहारी शहद की मिठास

अच्छी खबर-2

पटना | सविता

कहा जाता है कि न्यूजीलैंड के बाद बिहार का शहद गुणवत्ता में सबसे अच्छी होता है। लेकिन ठीक ढंग से प्रसंस्करण, मार्केटिंग और ब्रांडिंग नहीं होने से अधिक उत्पादन के बाद भी बिहार की शहद अपनी पहचान

व्यापारी 60-70 रुपये में खरीदकर 400 रुपये में बेचते हैं

राज्य में 20 हजार मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है। सबसे अधिक लीची से शहद का उत्पादन होता है। जामुन, सहजन, सरसों और तुलसी के शहद का उत्पादन होता है। जून से अक्टूबर तक मधुमक्खी पालक दूसरे प्रदेशों में शहद का बक्सा लेकर चले जाते हैं। राज्य का ज्यादातर शहद दूसरे प्रदेशों के व्यापारी लेकर चले जाते हैं। व्यापारी 60-70 रुपये किलो शहद खरीदते हैं और 400 रुपये किलो बेचते हैं। इससे शहद उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिल पाती है।

सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें मधुमक्खी पालक और

ओर से शहद उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव बना है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा

राज्य के सहकारी बैंकों का होगा आईएफएस कोड

शर्तें पूरी करने के बाद बैंक ने कोड के लिए रिजर्व बैंक में किया है आवेदन, बिहार ऐसा करने वाला दूसरा राज्य

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के सहकारी बैंकों का जल्द ही अपना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएस कोड) होगा। इससे राज्य के 24 सहकारी बैंकों की 330 शाखाओं से जुड़े लगभग 25 लाख ग्राहकों को सीधा लाभ होगा। सहकारी बैंक के चेक का भुगतान किसी भी वाणिज्यक बैंक में हो सकेगा। साथ ही ग्राहकों को

यह सुविधा मिलेगी। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने सहकारी बैंकों को लेकर कई नए प्रयास शुरू किए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आईएफएस कोड लेने का प्रयास है।

देश में अभी केवल यूपी के सहकारी बैंकों को ही यह कोड मिल पाया है। मगर अब बिहार के सहकारी बैंक भी इसके लिए जरूरी शर्त पूरी कर चुके हैं। लिहाजा इन बैंकों ने कोड के लिए रिजर्व बैंक में

पांच प्रतिशत से कम एनपीए जरूरी

आईएफएस कोड के लिए किसी भी बैंक का एनपीए पांच प्रतिशत से कम होना चाहिए। राज्य के सहकारी बैंकों ने इस मामले में वाणिज्यक बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया है। इनका नेट एनपीए मात्र 1.67 प्रतिशत रह गया है। ग्रॉस एनपीए भी 4.8 प्रतिशत है। दूसरी शर्त सीआरएआर को लेकर है। यह कम से कम नौ प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन राज्य के सहकारी बैंक का सीआरएआर 25.76 प्रतिशत है। लाभ में होना इसकी तीसरी शर्त है जिसे भी बैंक पूरा कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इन बैंकों का शुद्ध मुनाफा 48.85 करोड़ था।

बैंकों की स्थिति

24 सहकारी बैंक हैं राज्य में	330 शाखाएं हैं इन बैंकों की	25 लाख ग्राहक इनके पास	49 करोड़ का हुआ लाभ

एक सब के लिए
सब एक के लिए

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com